

आदेश

अधिवक्ता प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर घोषणा आश्रय की जाती है कि जमीन खाता संख्या 117 खसरा नं. 22 रकबा 2.67 हैक्टर खसरा नं. 58 रकबा 6.28 हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 8.95 हैक्टर व जमीन खाता संख्या 116 खसरा नं. 186 रकबा 1.38 हैक्टर मौजा ग्राम नन्दरामपुरा, पटवार हल्का तिगियांस में वादीगण के पति / पिता का नाम नन्दराम पुत्र मालिया के स्थान पर देवकीनन्दन शर्मा पुत्र मालिया दुरुस्त किये जाने के आदेश दिया जाता है। खाते के शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तहदनुसार तहसीलदार चिड़ावा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(डा० नरेश सोनी)

उपखंड अधिकारी चिड़ावा

यह निर्णय आज दिनांक 17.9.25 को मेरे द्वारा पृथक से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा० नरेश सोनी)

उपखंड अधिकारी चिड़ावा